मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल अप्लीकेशन संख्या 603/2022 ममता त्रिपाठी बनाम कमलेश कुमार व अन्य में Requisite Remedial Action के साथ जांच रिपोर्ट:-

प्रकरण प्रयागराज वन प्रभाग के फूलपुर रेंज के अन्तर्गत ग्रामसभा अन्दावां झूँसी प्रयागराज में आवेदिका श्रीमती ममता त्रिपाठी निवासिनी 28 बी/11बी रामानन्द नगर अल्लापुर थाना जार्ज टाउन प्रयागराज द्वारा क्रय ग्रामसभा अन्दावां झूँसी प्रयागराज में स्थित खसरा सं0-846 क्षेत्रफल 253.86 वर्गमी0 में निर्मित चहारदिवारी गिराने एवं फल लगें आम महुआ एवं गूलर के पेडों का अवैध कटान कर भूमि कब्जा करने से सम्बन्धित है। उक्त के सम्बन्ध में आवेदिका श्रीमती ममता त्रिपाठी ने मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली में शिकायत की गयी है। उक्त शिकायत को मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली ने ओरिजिनल अप्लीकेशन संख्या 603/2022 ममता त्रिपाठी बनाम कमलेश कुमार व अन्य के रूप में पंजीकृत/दर्ज कर लिया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली ने दिनांक-23.08.2022 को उपरोक्त अप्लीकेशन में सुनवाई के उपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है।

1. Ms. Mamta Tripathi resident of 28B/11B, Ramanand Nagar, Allahpur, Police Station George Town, Prayagraj has sent the present application under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 praying for taking of appropriate action against the land mafia who have illegally cut green fruit bearing trees for the purpóse of grabbing of the land.

2. The applicant has submitted that the applicant in the application had purchased land measuring 253.86 square meters comprised in Khasra no. 846 situated in the revenue estate of village Andawa, District Prayagraj vide sale deed dated 21.06.2011. After purchase of abovesaid plot the applicant had constructed boundary walls and planted Mangoes, Mahua and Gular trees during 2011. Land mafia comprising of Mr. Kamlesh Bhartiye son of Mr. Lal Bahadur, Muna resident of Badhawa Tahirpur, Police Station Jhusi, Mr. Rajesh Yadav son of Mr. Mansingh resident of Kanihar and 5 other persons demolished the boundary wall and illegally cut the trees and abused and criminally intimidated the applicant. The applicant made complaint to the Police with the photographs taken on the spot but no action was taken by the Police.

3. Even though the applicant has mentioned in the application that photographs taken on the spot are attached with the application but as per the report of the Registry no photographs were filed along with the application. The applicant be asked to send the photographs within three weeks by E-mail.

4. Prima facie, the allegations made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee of the concerned statutory authorities be asked to verify the factual position and take remedial action on the basis thereof. We accordingly constitute Joint Committee comprising DFO and District Magistrate, Prayagraj and direct the same to meet within three weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take remedial action as mandated by the statutory provisions empowering them, by following due process of law. The District Magistrate, Prayagraj will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action Taken Report may be furnished within one months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. The Registry is directed to send VC link to the applicant for the next date of hearing so that she can participate in the hearing.

7. List for further consideration on 13.10.2022.
8. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the DFO and District Magistrate, Prayagraj by e-mail for compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली ने पुनः दिनांक–24.01.2023 को सुनवाई के उपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किया है। जो निम्न प्रकार है:–

1. Vide order dated 23.08.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee with direction to submit its report within one month.
2. Report of the Joint Committee has not been received so far. The Joint Committee is again directed to submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
3. It is clarified that if the report is not submitted within the permitted period, exemplary costs may be imposed on the Members of the Joint Committee.
4. List for further consideration on 21.04.2023.

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश में अनुपालन हेतु विषयक प्रकरण में प्रभागीय निदेशक सा0वा0 वन प्रभाग प्रयागराज एवं जिला अधिकारी प्रयागराज को संयुक्त समिति बनाकर याची की समस्या के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित उपचारात्मक कार्यवाही (Requisite Remedial Action) हेतु आदेश पारित किया गया है। और निर्देशित किया है कि निस्तारण आदेश/कृत कार्यवाही को form of searchable PDF/OCR Support PDF के रूप में judicial-ngt@gov.in पर उपलब्ध करायें।

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त जाँच समिति के सदस्य प्रभागीय निदेशक प्रयागराज द्वारा नामित सदस्य श्री श्याम केवल राम उप प्रभागीय वनाधिकारी फूलपुर प्रयागराज तथा जिला अधिकारी प्रयागराज द्वारा नामित सदस्य श्री सौरभ भट्ट उप जिलाधिकारी फूलपुर प्रयागराज द्वारा दिनांक–19.04.2023 को विवादित स्थल ग्राम सभा अन्दावां झूँसी प्रयागराज के खसरा सं0–846 का मौके पर निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान मौके पर श्री सत्येन्द्र चौधरी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी फूलपुर एवं अन्य वन कर्मचारी तथा उक्त ग्राम सभा के ग्रामीण भी उपस्थित थे। सयुक्त आख्या के अनुसार विवादित स्थल पर पूछ–ताछ में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि आम, महुआ, गूलर के पेड़ स्थित नहीं थे तथा मौके पर स्थलीय जांच में उक्त पेड़ों के होने का कोई साक्ष्य/जड़ आदि नहीं होना पाया गया। लोगों द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत स्थल पर बेर के पेड़ थे, जिसे कमलेश आदि द्वारा सफाई के दौरान काटा गया था। मौके पर पूर्व सूचना के अनुसार शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए तथा विपक्षी कमलेश कुमार उपस्थित थे व कमलेश द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल के बाबत ममता त्रिपाठी व कमलेश के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है, जिसके सम्बन्ध में मा0 सिविल जज (व0श्रे0) एफ0टी0सी0 जनपद न्यायालय प्रयागराज में सिविल वाद सं0 480/2022 ममता त्रिपाठी बनाम कमलेश कुमार आदि विचाराधीन है।(संलग्नक–1)

अतः स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच से स्पष्ट है कि आवेदिका श्रीमती ममता त्रिपाठी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली में की गयी शिकायत निराधार, मिथ्या एवं झूठ है, प्रकरण निक्षेपित करने योग्य है।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग,
प्रयागराज

(संजय कुमार खत्री)
जिलाधिकारी
प्रयागराज

स्पाट मैमो

आज दिनांक - 19-04-2023 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे विचाराधीन अप्लीकेशन सं० 603/2022 ममता त्रिपाठी बनाम कमलेश कुमार अन्य के सम्बन्ध मे मौजा कन्दवा परगना झूंसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज के विवादित स्थल पर संयुक्त रूप से उपजिलाधिकारी फूलपुर व श्री श्याम केवल राम, उप प्रभागीय वनाधिकारी, फूलपुर व श्री सत्येन्द्र चौधरी क्षेत्रीय वनाधिकारी, फूलपुर मय राजस्व टीम निरीक्षण किया गया। विवादित स्थल पर पूछ-ताछ मे स्थानीय लोगो द्वारा बताया गया कि आम, महुआ, गूलर के पेड़ स्थित नहीं थे तथा मौके पर स्थलीय जांच मे उक्त पेड़ो के होने का कोई साक्ष्य/जड़ आदि नही होना पाया गया। लोगो द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत स्थल पर बेर के पेड़ थे जिसे कमलेश आदि द्वारा सफाई के दौरान काटा गया था। मौके पर पूर्व सूचना अनुसार शिकायत कर्ता उपस्थित नही हुए तथा विपक्षी कमलेश कुमार उपस्थित थे कमलेश द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल के बाबत ममता त्रिपाठी व कमलेश के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है, जिसके सम्बन्ध मे न्यायालय सिविल जज (क०डि०) एफ०टी०सी० इला० मे ममता त्रिपाठी बनाम कमलेश भारतीय आदि वाद सं० 400 सन् 2022 विचाराधीन है।

(सत्येन्द्र चौधरी)
उप क्षेत्रीय वनाधिकारी

(एस.के.राम)
एस.डी.ओ.(फूलपुर)

SDM(F)

मनोज कुमार
मुन्ना लाल
Ashok Kumar
पवन कुमार
अमृत लाल यादव
प्रमोद कुमार
लोकेश कुमार

19.04.2023
19.4.2023
19.4.23

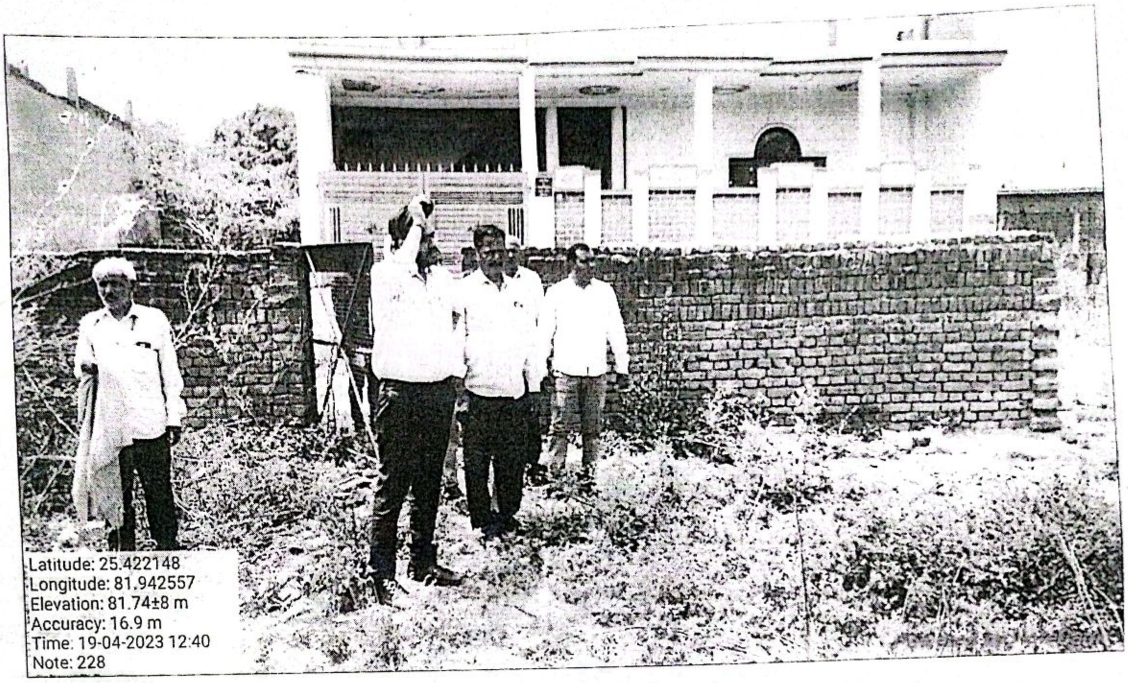
Latitude: 25.422148
Longitude: 81.942557
Elevation: 81.74±8 m
Accuracy: 16.9 m
Time: 19-04-2023 12:40
Note: 228

कार्यालय उपजिलाधिकारी फूलपुर प्रयागराज।

पत्र संख्या ९१६-१ /एस0डी0-जाँच रिपोर्ट- 2023 दिनांक 20 अप्रैल 2023

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
प्रयागराज।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 903/एस0डी0-प्रशा0-2023 दिनांक 10 फरवरी 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि ओरिजिनल अप्लीकेशन संख्या 603/2022 ममता त्रिपाठी बनाम् कमलेश कुमार व अन्य मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन है। प्रकरण श्रीमती ममता त्रिपाठी निवासिनी 28 बी 11 बी रामानन्द नगर अल्लापुर प्रयागराज द्वारा क्रय ग्राम सभा अन्दावां प्रयागराज में स्थित खसरा संख्या 846 रकबा 253.86 मी0 में निर्मित चहारदीवारी गिराने एवं आम, महुआ, गूलर के पेड़ों के अवैध कटान से सम्बन्धित है, कि मौके का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं श्री श्याम केवल राम उप प्रभागीय वनाधिकारी फूलपुर व श्री सत्येन्द्र चौधरी, क्षेत्रीय वनाधिकारी फूलपुर के मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

विवादित स्थल पर पूछ-ताछ में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि आम, महुआ, गूलर के पेड़ स्थित नहीं थे तथा मौके पर स्थलीय जाँच में उक्त पेड़ों के होने का कोई साक्ष्य/जड़ आदि नहीं होना पाया गया। लोगों द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत स्थल पर बेर के पेड़ थे जिसे कमलेश आदि द्वारा सफाई के दौरान काटा गया था। मौके पर पूर्व सूचना के अनुसार शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए तथा विपक्षी कमलेश कुमार उपस्थित थे व कमलेश द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल के बाबत् ममता त्रिपाठी व कमलेश के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है जिसके सम्बन्ध में मा0 न्यायालय सिविल जज (व0श्रे0) एफ0टी0सी0 इलाहाबाद में ममता त्रिपाठी बनाम् कमलेश भारतीय आदि वाद संख्या 480 सन् 2022 विचाराधीन है।

अतः निरीक्षण आख्या मय स्पाट मेमो अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

(सौरभ भट्ट),
उपजिलाधिकारी फूलपुर,
प्रयागराज।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

20/4/23
उपजिलाधिकारी फूलपुर,
प्रयागराज।

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज।

पत्र सं0 903 /एस0टी0प्रशा0--2023 दिनांक 10 फरवरी, 2023

उप जिलाधिकारी,
फूलपुर--प्रयागराज (मो0नं0--9454417816)

कृपया पत्र के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक --2411/10रिट दिनांक--07 फरवरी, 2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि ओरिजिनल अप्लीकेशन संख्या 603/2022 ममता त्रिपाठी बनाम कमलेश कुमार व अन्य मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन है। प्रकरण श्रीमती ममता त्रिपाठी निवासिनी 23[illegible] रामानन्द नगर अल्लापुर प्रयागराज द्वारा कय ग्राम सभा अन्दावा प्रयागराज में स्थित खसरा संख्या 846 क्षेत्रफल 253.86 मी0 में निर्मित चहारदिवारी गिराने एवं आम, महुआ, गूलर के पेड़ों के अवैध कटान से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 23.08.2022 एवं 24.01.2023 को सुनवाई के उपरान्त जिलाधिकारी प्रयागराज एवं प्रभागीय निदेशक सा0वा0प्रभाग, प्रयागराज को संयुक्त समिति बनाने और मौके का निरीक्षण कर आख्या के प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में प्रकरण के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक--10.02.2023 के द्वारा उक्त समिति में सदस्य के रूप में आपको नामित किया गया है।

तदनुसार अवगत होकर प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

संलग्नकः--यथोक्त

10/2/23

(हर्ष देव पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
प्रयागराज।

पत्र सं0 व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हर्ष देव पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
प्रयागराज।

3223/51

तहसीलदार फूलपुर

RI Jhusi

17.2.23

15.02.23

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
पत्रांक-2511/10रिट दिनांक, प्रयागराज, फरवरी, 07, 2023।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओरिजिनल अप्लीकेशन संख्या 603/2022 ममता त्रिपाठी बनाम कमलेश कुमार व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.08.2022 व 24.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि ओरिजिनल अप्लीकेशन संख्या 603/2022 ममता त्रिपाठी बनाम कमलेश कुमार व अन्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन है। विषयक प्रकरण श्रीमती ममता त्रिपाठी निवासिनी 28बी/11बी रामानन्द नगर अल्लापुर प्रयागराज द्वारा क्रय ग्राम सभा अन्दावां प्रयागराज में स्थित खसरा संख्या 846 क्षेत्रफल 253.86 मी0 में निर्मित चहारदिवारी गिराने एवं आम, महुआ, गूलर के पेड़ों के अवैध कटान से सम्बन्धित है। विषयक प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 23.08.2022 एवं 24.01.2023 को सुनवाई के उपरान्त जिलाधिकारी प्रयागराज एवं अधोहस्ताक्षरी को संयुक्त समिति बनाने हेतु निर्देशित किया है, और मौके का निरीक्षण कर आवेदिका के प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया है।

अतः उक्त के क्रम में श्रीमान जी से अनुरोध है कि आप कृपया स्वयं या किसी नामित सदस्य को मौके की जाँच करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण यथाशीघ्र किया जा सकें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 प्रभाग प्रयागराज।

पत्रांक- / समदिनांक

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय वन अधिकारी फूलपुर रेंज प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मौके पर संयुक्त समिति को स्थल निरीक्षण/जाँच कार्य में पूर्ण सहयोग देना सुनिश्चित करें।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 प्रभाग,प्रयागराज।